[2018] 7 एस. सी. आर 1232

लक्ष्मी श्रीनिवास सहकारी निर्माण समाज

वी.

एल. आर. एस. द्वारा पुव्वाडा रामा (मृत)। और ओआरएस।

(2008 की सिविल अपील सं. 6620)

31 जुलाई, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

विशिष्ट प्रदर्शनः भूमि की बिक्री का समझौता-के लिए उपयुक्त

भूमि के संबंध में बिक्री समझौते का विशिष्ट निष्पादन-तथ्यों पर, अपीलार्थी द्वारा दायर बिक्री समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा-निम्न न्यायालयों द्वारा खारिज किया गया

अपीलार्थी मुकदमा समझौते के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा, उन समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए वास्तविक धन का भुगतान और मुकदमा संपत्ति के कब्जे में भी रखा गया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः मुक़दमा समझौते का निष्पादन साबित नहीं हुआ-अपीलार्थी को मुक़दमे के निष्पादन के सबूत के बिना राहत लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

जिन समझौतों के संबंध में विशिष्ट निष्पादन की राहत है

एक वैध और स्थायी समझौते का अभाव था पक्षों के बीच संचालन-दोनों में से कोई भी समझौता एक पंजीकृत दस्तावेज नहीं था कोई भी त्याग विलेख विक्रेताओं द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है जो कथित प्रारंभिक समझौते के पक्षकार थे।

-

इसके अलावा, अपीलार्थी अधिकार के तथ्य को साबित करने में विफल रहा। इसे ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को कोई राहत नहीं दी जा सकती है-जहां तक अपीलार्थी द्वारा वाद समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भुगतान किए गए बकाया धन को वापस करने के लिए मांगी गई प्रार्थना का संबंध है, आमतौर पर इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन तत्काल मामले के विशिष्ट तथ्यों में, इसे स्वीकार करना संभव नहीं हो सकता है।

भारत का संविधानः कला. 136 – अधिकारिता का प्रयोग

अधीन-अपीलार्थी के विरुद्ध निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा अभिलिखित तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष-आयोजितः केवल इसलिए कि दो अदालतों ने एक

भौतिक मुद्दों पर विशेष दृष्टिकोण, कि अपने आप में इस न्यायालय पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक बंधन के रूप में काम नहीं करेगा

यू/Art.136।

1232 लक्ष्मी श्रीनिवास सहकारी निर्माण समाज v. एल. आर. एस. द्वारा पुव्वाडा रामा (डी)।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. यह समझ से परे है कि उच्च न्यायालय द्वारा पहली अपील का बिना किसी निर्णय के निपटान करने का आदेश कैसे पारित किया गया। न्यायनिर्णयन, किसी भी मानक द्वारा, अंतिम डिक्री या किसी निष्कर्ष के मामले में प्रतिवादी के लिए प्रतिकूल माना जा सकता है।

मुकदमे को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा दर्ज किया गया। नतीजतन, 2008 की सिविल अपील No.6625 योग्यता से रहित है, और नहीं है बनाए रखने योग्य। [पैरा 12] [1240-डी]

2.1 2008 की सिविल अपील में, उच्च न्यायालय ने तथ्यों के निष्कर्षों और अपीलार्थी/वादी के खिलाफ सामग्री मुद्दों पर निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की पुष्टि की है। इस अर्थ में, विषय अपील अपीलार्थी/वादी के खिलाफ दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष पर सवाल उठाती है। केवल इसलिए कि दो न्यायालयों ने भौतिक मुद्दों पर एक विशेष दृष्टिकोण लिया है, कि स्वयं इस न्यायालय पर अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक बंधन के रूप में काम नहीं करेगा।

संविधान। [पैरा 13] [1240-ई-एफ]

2.2 अपीलार्थी/वादी के खिलाफ नीचे दी गई दो अदालतों द्वारा दर्ज किए गए प्रतिकूल निष्कर्ष निर्विवाद तथ्यों पर आधारित हैं, जैसे कि न तो वाद के प्रमाणक और लेखक थे

वास्तविक द्वारा इसके निष्पादन को साबित करने के लिए समझौतों की जांच की गई

अपंजीकृत। प्रतिवादियों ने इस तरह के किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रतिवादियों का सामना करने और किसी भी हस्तलेखन विशेषज्ञ की जांच करके बोझ उठाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। अपीलार्थी/वादी यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने में विफल रहा कि जिन नौ सदस्यों के पक्ष में प्रारंभिक कथित समझौते को निष्पादित किया गया था, उन्होंने त्याग कर दिया है। अपीलार्थी/वादी के पक्ष में उनका अधिकार। संपत्ति के सह-मालिक (पाँचवाँ प्रतिवादी) को न तो वाद समझौते में पक्षकार के रूप में शामिल किया गया था और न ही ऐसे समझौते के निष्पादन के लिए उसका अधिकार था।

आने वाला समझौता। अन्य दो खरीदार, जिनके साथ मुकदमा समझौता निष्पादित किया गया था, भी नहीं थे।

जाँच की गई। मुकदमा समझौतों के निष्पादन के समय या अन्यथा मुकदमे के मालिकों [2018] 7 एस. सी. आर. को की गई बकाया राशि के भुगतान के संबंध में कोई सबूत सामने नहीं आया था।

संपत्ति। अपीलार्थी/वादी ने दिखाने के लिए कोई दस्तावेज़ दाखिल नहीं किया

कि चेक को भुनाया गया था और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वाद समझौते के संबंध में भुगतान के रूप में लाभ उठाया गया था। दूसरे मुक़दमे के समझौते के निष्पादन से पहले या बाद में किसी भी समय विक्रेताओं या विक्रेताओं में से प्रारंभिक मुक़दमे के समझौते पर कोई समर्थन नहीं लिया गया था। मुक़दमा समझौते के निष्पादन के संबंध में पीडब्लू-1 की एकमात्र गवाही इसके निष्पादन को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। किसी भी गवाह से यह साबित करने के लिए पूछताछ नहीं की गई कि पीडब्लू-1 और प्रतिवादी Nos.1-4 के बीच कोई सौदा और समझौता हुआ था।

मुकदमा समझौते के निष्पादन से पहले बिक्री लेनदेन। मुकदमे के समझौते में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं है कि प्रतिवादी Nos.1-4 के साथ, प्रतिवादी संख्या 5 भी संपत्ति बेचने और अपीलार्थी/वादी के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए सहमत हुआ था। मुक़दमे के समझौतों पर प्रतिवादी संख्या 5 के कोई हस्ताक्षर नहीं थे या उसके बारे में कोई संदर्भ नहीं था, बहुत कम कि वह मुक़दमे की संपत्ति की बिक्री के लिए प्रतिवादी Nos.1-4 के साथ शामिल होने के लिए सहमत हुई। मुक़दमा समझौतों को अकेले पहले प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किया जाता है और

सभी सह-मालिकों द्वारा नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निचली अदालत ने प्रतिवादी नंबर 1 की याचिका को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह अस्वस्थ दिमाग का था। लेकिन उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक साक्ष्य के विश्लेषण पर उस संबंध में साक्ष्य को पर्याप्त स्वीकार किया। [पैरा 14] [1242-ई-जी; 1243-ए-डी]

2.3 विचारण न्यायालय ने संबंधित सामग्री मुद्दे के संदर्भ में अभिलेख पर साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण किया।

प्रदर्शन की मांग की जाती है। अपीलार्थी/वादी को पक्षकारों के बीच एक वैध और स्थायी समझौते के अभाव में कोई भी राहत प्राप्त करने में विफल होना चाहिए जिसके संबंध में विशिष्ट प्रदर्शन की राहत दी जा सकती है।

विशेष रूप से, लक्ष्मी श्रीनिवास सहकारी निर्माण समाज बनाम। एल. आर. एस. द्वारा पुव्वाडा रामा (डी)।

समझौता एक पंजीकृत दस्तावेज है। कथित प्रारंभिक समझौते के पक्षकार नौ विक्रेताओं द्वारा कोई त्याग विलेख निष्पादित नहीं किया गया है। इस संबंध में कोई अनुमोदन नहीं किया गया था। यदि ऐसा है, तो दूसरा समझौता अपने आप खड़ा होना चाहिए या विफल होना चाहिए। लेकिन अपीलार्थी/वादी के पक्ष में दूसरे वाद समझौते के निष्पादन से पहले, वाद संपत्ति को दिनांकित समझौते के संदर्भ में हस्तांतरित किया जाना था। 22 प्रत्यर्थी संख्या 6 (मूल) के पक्ष में नवंबर, 1979

प्रतिवादी संख्या 6)। पक्षकारों के बीच उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, वाद संपत्ति के मालिकों द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 (प्रतिवादी संख्या 6) के पक्ष में वाद संपत्ति के संबंध में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था। पंजीकृत बिक्री विलेख के परिणामस्वरूप, उत्तराधिकारी और कानूनी

मूल प्रतिवादी संख्या 6 के प्रतिनिधियों ने होने का दावा किया

सूट संपत्ति के मालिक और कब्जे में। [पैरा 17] [1246-जी; 1247-ए-ई] 2.5 जहां तक कब्जे के तथ्य का संबंध है, निचली अदालत ने पाया कि अपीलार्थी इसे साबित करने में विफल रहा। इस तरह से लिया गया दृश्य

विचारण न्यायालय कि अपीलार्थी अधिकार के तथ्य को साबित करने में विफल रहा, उच्च न्यायालय के समक्ष सराहना की गई और उसके द्वारा पुष्टि की गई है। उक्त निष्कर्ष से भटकने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह अभिलेख पर साक्ष्य के संदर्भ में स्पष्ट रूप से अनुचित या अन्यायपूर्ण नहीं है। [पैरा 18,19] [1247-एफ; 1249-ई]

2.6 निम्नलिखित दोनों न्यायालयों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलार्थी/वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा खारिज किए जाने के योग्य है। बरकरार रखा जाता है। दलीलों के दौरान, अपीलार्थी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि अदालत विशिष्ट निष्पादन के लिए अनुरोध को मंजूरी देने के लिए इच्छुक नहीं है, तो यह अदालत प्रत्यर्थियों को मुकदमे के समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भुगतान किए गए बकाया धन को वापस करने का निर्देश दे सकती है। आम तौर पर ऐसी प्रार्थना पर विचार किया जा सकता है।

लेकिन तत्काल मामले के विशिष्ट तथ्यों में, इसका मनोरंजन करना संभव नहीं हो सकता है, न केवल इसलिए कि ऐसी कोई स्पष्ट प्रार्थना नहीं है निचली अदालत के समक्ष अपीलार्थी/वादी द्वारा दायर वाद में, लेकिन यह भी कि उस प्रार्थना को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप निचली अदालत के निष्कर्ष के साथ एक विरोधाभासी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है कि अपीलार्थी मुकदमे की संपत्ति के मालिकों को बकाया राशि के भुगतान के तथ्य को साबित करने में विफल रहा है। इसे देखते हुए, अपीलार्थी को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। [पैरा 20] [1249-एफ, जी; 1250-ए] [2018] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्रीमती. इंदिरा कौर और अन्य। वी. शीओ लाल कपूर (1988) 2 एस. सी. सी. 488-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(1988) 2 एससीसी 488

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6620

2008 से।

उच्च न्यायालय के 13.03.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1997 के ए. एस. सं. 1492 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की न्यायपालिका

के साथ

2008 की सिविल अपील No.6625।

मोहन परासरन, एम. एन. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , जी. वी. आर. चौधरी

के. शिवराज चौधरी, ए. चंद्र शेखर, संजय झा, सी. बालकृष्ण, एम. ए. चिन्नासामी, सुश्री सी. रुबावती, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1. ये दो अपीलें सामने आती हैं

ए. सी. को मापने वाली भूमि के संबंध में बिक्री के समझौतों के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दायर किए गए अलग-अलग मुकदमे। 7.86 उप रजिस्ट्री के भीतर कुंडावरी खंडरीका गाँव में स्थित सर्वेक्षण No.59/2 में सेंट (3,18 हेक्टेयर)

विजयवाड़ा से।

2. मूल प्रतिवादी संख्या 6, अर्थात्, अल्लू अप्पलनारायण,

22 नवंबर, 1979 के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश, विजयवाड़ा के न्यायालय के समक्ष विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जो मूल सूट No.99/1981 था।

पुव्वाडा चंद्रशेखर राव और पुव्वाडा शिव प्रसाद द्वारा उनके पक्ष में फांसी दी गई, जिसे 20 अक्टूबर, 1997 को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। 2008 की सिविल अपील No.6625 उक्त से निकलती है

कार्यवाही।

3. अपीलार्थी सोसायटी (इससे पहले दोनों अपीलों में अपीलार्थी)

न्यायालय) ने 30 जून, 1977 के पूर्व समझौते के साथ पठित 16 अक्टूबर, 1981 के बिक्री समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए उसी भूमि के संबंध में एक मुकदमा भी दायर किया था। यहां तक कि विजयवाड़ा में अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष दायर किया गया यह मुकदमा, 1982 का ओ. एस. <आई. डी. 1 होने के कारण, ट्रायल कोर्ट द्वारा 20 अक्टूबर, 1997 के सामान्य फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया था। 2008 की सिविल अपील No.6620 उक्त कार्यवाही से उत्पन्न होती है।

लक्ष्मी श्रीनिवास सहकारी निर्माण समाज v. एल. आर. एस. द्वारा पुव्वाडा रामा (डी)। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

4. मूल प्रत्यर्थी संख्या 6 के कानूनी प्रतिनिधियों ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपील को प्राथमिकता दी।

हैदराबाद, की बर्खास्तगी के खिलाफ 1997 की पहली अपील संख्या 1426 है।

5. हालाँकि, अल्लू अप्पलनारायण के उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा की गई अपील का निपटारा 9 मार्च, 2006 को अपीलार्थी के वकील द्वारा की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। 1 & 2 / प्रतिवादी सं। 1 & 2 , पुव्वाडा चंद्रशेखर राव और पुव्वाडा शिव प्रसाद, क्रमशः, पहले ही अपने पक्ष में वाद संपत्ति के संबंध में एक बिक्री विलेख निष्पादित कर चुके थे और इसलिए, लंबित मामले में आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं थी। अपील करें। उच्च न्यायालय ने उसी आधार पर उक्त अपील का निपटारा कर दिया। उस निर्णय के खिलाफ, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी सोसायटी द्वारा 2008 की सिविल अपील दायर की गई है। यह संदेहपूर्ण है कि क्या यह अपील उच्च न्यायालय के दिनांकित निर्णय के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा की गई है।

9 प्रथम अपील No.1426/1997 में मार्च, 2006 को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम इस बारे में थोड़ी देर बाद विस्तार से बात करेंगे।

6. वास्तविक विवाद जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है वह संदर्भ में है

16 अक्टूबर, 1981 के विक्रय अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए ओ. एस. No.351/1982 होने के कारण अपीलार्थी सोसायटी द्वारा दायर किए गए मुकदमे के लिए।

प्रतिवादी सं. को निर्देश देते हुए 30 जून, 1977 के पूर्व अनुबंध के साथ पढ़ें। 1 5 (वाद सम्पत्ति के स्वामी), जो सिविल अपील No.6620/2008 में प्रत्यर्थी Nos.1 से 5 हैं, पंजीकरण के समय बिक्री शेष राशि प्राप्त करने पर अपीलार्थी सोसायटी के पक्ष में एक उचित बिक्री विलेख दर्ज करने के लिए या, वैकल्पिक रूप से, न्यायालय द्वारा अपने खर्च पर ऐसे बिक्री विलेख के निष्पादन और पंजीकरण का निर्देश देने के लिए, और छठे प्रतिवादी (प्रतिवादी Nos.6a को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने वाले निषेधाज्ञा के लिए।

6 जी तक। - कानूनी प्रतिनिधि) वाद संपत्ति और वादी (अपीलार्थी) के कब्जे और किसी भी तरह से उसके आनंद में हस्तक्षेप करने से। प्रतिवादियों ने उक्त मुकदमे का विरोध किया और 30 जून, 1977 और 16 अक्टूबर, 1981 के मुकदमे के समझौतों को लागू करने से इनकार किया।

7. दलीलों के आधार पर, निचली अदालत ने प्रासंगिक मुद्दों को तैयार किया और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया

अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत, अपीलार्थी/वादी के खिलाफ सामग्री मुद्दों का जवाब दिया। विचारण न्यायालय ने राय दी कि अपीलार्थी/वादी वाद समझौतों के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा है।

इसी

तरह, [2018] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी/वादी यह साबित करने में विफल रहा था कि वाद समझौतों के निष्पादन के समय या अन्यथा भूमि के मालिकों को बकाया राशि का भुगतान किया गया था। यहां तक कि कब्जे के तथ्य पर भी, जैसा कि दावा किया गया है

अपीलार्थी/वादी, ट्रायल कोर्ट ने राय दी कि अपीलार्थी/वादी 30 जून, 1977 के सूट समझौते के निष्पादन पर मालिकों द्वारा सूट संपत्ति के कब्जे की डिलीवरी को साबित करने में विफल रहा था। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि कथित मुकदमा समझौते नहीं हो सकते हैं शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में निहित प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए निष्पादित किए गए हैं और उस कारण से भी, वे मान्य नहीं थे। अपीलार्थी/वादी के खिलाफ सामग्री मुद्दों का जवाब देने के बाद, अपीलार्थी द्वारा ओ. एस. No.351/1982 होने के कारण दायर किए गए मुकदमे को अंततः लागत के साथ खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध, अपीलार्थी ने ए. एस.

No.1492/1997 हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष। उच्च न्यायालय सामग्री मुद्दों पर अपीलार्थी/वादी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए प्रसन्न था। इस अर्थ में, दोनों अदालतों ने समवर्ती रूप से राय दी है कि अपीलार्थी/वादी 30 जून, 1977 और 16 अक्टूबर, 1981 के वाद समझौतों के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा या उन समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए वास्तविक धन का भुगतान किया और दावा की गई वाद संपत्ति के कब्जे में भी रखा गया। उसी समय, उच्च न्यायालय इस मुद्दे के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से अलग हो गया कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति था। उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आग्रह की गई उक्त याचिका को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। इसलिए उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता सोसायटी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और इस आदेश की पुष्टि की -

विचारण न्यायालय द्वारा पारित वाद को खारिज करना।

8. अपीलार्थी ने अपने मुक़दमे को ख़ारिज करने की माँग की है और

अपील करें

उच्च न्यायालय द्वारा 2006 की अपील के लिए विशेष अनुमति (सिविल) No.16661 के माध्यम से, जिसे 2008 की सिविल अपील No.6620 में परिवर्तित कर दिया गया है। चुनौती का जोर यह है कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने इसका विश्लेषण करने और उसकी सराहना करने में स्पष्ट त्रुटि की। वाद समझौतों के निष्पादन के संबंध में भौतिक मुद्दों के संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य, उसके निष्पादन के समय मालिकों को बकाया धन का भुगतान और जिसमें अपीलार्थी/वादी का तथ्य भी शामिल है जिसे वाद संपत्ति के कब्जे में रखा गया है। यह आग्रह किया जाता है कि भूमि उपयोगकर्ता का धर्मांतरण करने और लक्ष्मी श्रीनिवास सहकारी निर्माण समिति से अनुमति लेने के लिए मालिकों के लिए और उनकी ओर से अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में महत्वपूर्ण पहलू।

एल. आर. एस. द्वारा पुव्वाडा रामा (डी)। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अपीलार्थी सोसायटी के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण के लिए उपयुक्त प्राधिकरण की अनदेखी की गई है। वे परिस्थितियाँ अपीलार्थी के पक्ष में वाद समझौतों के निष्पादन को सुदृढ़ करेंगी। अपीलार्थी ने प्रतिवादी संख्या 1 के अस्वस्थ दिमाग के होने के तथ्य पर उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष पर भी हमला किया है। यह आग्रह किया जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 की जांच नहीं की गई थी। अपीलार्थी आगे तर्क देगा कि वह अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक था और इस कारण से न्यायालय को अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमे का फैसला करना चाहिए था। यह तर्क दिया जाता है कि अपीलकर्ता सोसायटी ने वाद समझौतों पर कार्रवाई की है और वाद संपत्ति पर पर्याप्त निवेश किया है क्योंकि इसे रखा गया था।

उसका अधिकार। इक्विटी अपीलार्थी के पक्ष में हैं, जिसके कारण न्यायालय को विशिष्ट निष्पादन की डिक्री देने के पक्ष में झुकना चाहिए, जैसा कि अनुरोध किया गया है।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों का तर्क होगा कि न्यायालय को तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से घृणा होनी चाहिए।

अपीलार्थी/वादी के खिलाफ दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए भौतिक मुद्दों पर। उल्लेखनीय है कि न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी वाद समझौतों के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा है। उस निष्कर्ष पर, विशिष्ट प्रदर्शन की राहत को आगे बढ़ाने के लिए किसी अन्य मामले पर विचार करने का सवाल व्यर्थ में एक अभ्यास होगा। इसके अलावा, दोनों न्यायालयों ने माना है कि शहरी भूमि सीमा अधिनियम के तहत वाद समझौतों के निष्पादन के लिए स्पष्ट निषेध था। प्रत्यर्थियों का कहना है कि निचली अदालत ने अपीलकर्ता/वादी द्वारा दायर मुकदमे को सही ढंग से खारिज कर दिया है और इसी कारण से, उच्च न्यायालय पहली अपील को खारिज करने में उचित है।

अपीलार्थी द्वारा अधिमानित। नतीजतन, समवर्ती निर्णयों के खिलाफ प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

10. जहाँ तक 2008 की सहयोगी सिविल अपील No.6625 का संबंध है, यह आग्रह किया जाता है कि यह पूरी तरह से गलत सलाह है क्योंकि यह मूल प्रतिवादी संख्या 1 (प्रतिवादी Nos.1a) द्वारा स्थापित मुकदमे से उत्पन्न होता है। 1 जी तक। - कानूनी प्रतिनिधि) दिनांक 22 नवंबर, 1979 को उनके पक्ष में समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए। उस वाद को विचारण न्यायालय द्वारा पारित 20 अक्टूबर, 1997 के सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ प्रतिवादी संख्या। 1 ए। 1 जी तक। 1997 की प्रथम अपील सं. 1426 दायर की थी। बाद के घटनाक्रमों को देखते हुए उस अपील को आगे नहीं बढ़ाया गया। यह अनिवार्य रूप से इस प्रकार है कि [2018] 7 एस. सी. आर.

इसमें (उक्त वाद में प्रतिवादी) अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज कोई प्रतिकूल डिक्री या उस मामले के लिए कोई निष्कर्ष नहीं था, जिस पर अपीलार्थी अपवाद ले सकता है, विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से बहुत कम। यह तथ्य कि पहली अपील के लंबित रहने के दौरान, पहली अपील No.1426/1997 में अपीलार्थी के पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील बनाए रखने का आधार नहीं हो सकता है। इसलिए, इस तरह की अपील गुणदोष से रहित है।

11. हमने सुना है कि अपीलकर्ता सोसायटी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मोहन परासरन और श्री एम. एन. राव को पता चला है कि

उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील।

12. हम उत्तरदाताओं के अंतिम तर्क को लेंगे, जिसके संबंध में

2008 की सिविल अपील No.6625 की रखरखाव क्षमता, पहला। हम उस तर्क में सार पाते हैं। यह समझ से परे है कि उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी निर्णय के पहली अपील का निपटारा करने के आदेश को किसी भी मानक द्वारा प्रतिवादी के लिए प्रतिकूल कैसे माना जा सकता है।

13. 2008 की पूर्व अपील, अर्थात सिविल अपील No.6620 पर लौटते हुए, उच्च न्यायालय ने तथ्यों के निष्कर्षों की पुष्टि की है और अपीलार्थी/वादी के विरुद्ध सामग्री मुद्दों पर विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष। इस अर्थ में, विषय अपील दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष पर सवाल उठाती है

अपीलार्थी/वादी। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि केवल इसलिए कि दो न्यायालयों ने भौतिक मुद्दों पर एक विशेष दृष्टिकोण लिया है, यह अपने आप में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इस न्यायालय पर एक बाधा के रूप में काम नहीं करेगा। इस मामले में न्यायालय श्रीमती. इंदिरा कौर और ओआरएस। बनाम शीओ लाल कपूर, 1 ने निम्नलिखित रूप में देखा है:

" 7. ..... भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 स्पष्ट रूप से ऐसी कोई बाधा नहीं बनाता है। यह इस न्यायालय को अपने पक्ष को मोड़ने के लिए बाध्य नहीं करता है।

हाथ मिलाएँ और एक असहाय दर्शक बन जाएँ, तब भी जब यह न्यायालय समझता है कि एक स्पष्ट अन्याय हुआ है। यदि और जब अदालत को संतुष्ट किया जाता है कि बहुत बड़ा अन्याय किया गया है तो वह है

1 (1988) 2 एस. सी. सी. 488 एस. एच. एम. आई. श्रीनिवास सहकारी निर्माण समाज युवदा राम (डी) एल. आर. एस. द्वारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

न केवल "अधिकार" बल्कि इस न्यायालय का "कर्तव्य" भी है कि वह त्रुटि और अन्याय को उलट दे और निष्कर्ष को परेशान करे, इस तथ्य के बावजूद कि इसकी तीन बार पुष्टि की जा चुकी है। आयात करने के लिए कोई वारंट नहीं है

अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता के दायरे की व्याख्या करने में तीन बार "तलाक" के उच्चारण पर तलाक की अवधारणा या निर्णायकता। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी निष्कर्ष को कितनी बार दोहराया गया है। वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि क्या निष्कर्ष स्पष्ट रूप से एक अनुचित और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के संदर्भ में अन्यायपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह न्यायालय तथ्यों के क्षेत्र में दरवाजे को केवल संयम से खोलेगा और केवल तभी जब अन्याय को कायम माना जाता है। लेकिन मामले के किसी भी दृष्टिकोण में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है

ताला जिसे गंभीर अन्याय के सामने नहीं खोला जा सकता है। यह दृष्टिकोण वैराइटी एम्पोरियम v में लिया गया है। मोहम्मद. इब्राहिम नैना, जिसमें हम में से एक (ठक्कर, जे.) पार्टी में थे। चंद्रचूड़, सी. जे. के शब्दों में प्रासंगिक अंश को लाभ के साथ उद्धृत किया जा सकता हैः (एस. सी. सी पी. 255, पैरा 6)

" यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि तीन अदालतों ने एक साथ सुनवाई की है।

संयम से व्यायाम करें। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि अन्याय को कायम रखा जाना चाहिए क्योंकि यह एक मामले में तीन बार किया गया है। यह दिखाने का भार कि दो या दो से अधिक न्यायालयों या न्यायाधिकरणों का समवर्ती निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण है, अपीलार्थी पर निहित है। लेकिन एक बार जब उस बोझ का निर्वहन हो जाता है, तो यह न केवल अधिकार है, बल्कि इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सुधार करे

अन्याय। प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए श्री तारकुंडे ने तर्क दिया कि इससे विभिन्न मानकों को बढ़ावा मिल सकता है और व्यवहार में यह अलग-अलग मानकों को लागू करता है

विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह पता लगाने के लिए लागू किया जा रहा है कि क्या एक समवर्ती निर्णय स्पष्ट रूप से अवैध है या अन्यायपूर्ण है। वर्तमान व्यवस्था में यह अपरिहार्य है। मात्रात्मक रूप से, सर्वोच्च न्यायालय के पास एक विशाल

अधिकारिता जो चुनावों के लिए उत्पाद शुल्क और अपराधों के लिए संविधान जैसे मामलों पर फैली हुई है। अदालत बेंच में बैठती है न कि बैंक में, जैसा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट करता है।

वास्तव में, [2018] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भले ही पूरे न्यायालय को अस्सी में से हर एक को सुनने के लिए बैठना था

हजार मामले जो इस वर्ष दायर किए गए हैं, एक निश्चित राशि

अन्याय की प्रतिक्रिया में व्यक्तित्व से बचा नहीं जा सकता है। यह है।

संवैधानिक इतिहास का एक प्रसिद्ध तथ्य, उन देशों में भी जहाँ

पूरा न्यायालय प्रत्येक मामले को सुनने के लिए बैठता है, कि

बहुमत स्थिर नहीं है। हालाँकि यह एक विषय से दूसरे विषय में बदलता है,

शायद, हर मामले में नहीं। अन्याय के प्रति व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएँ

गूढ़ नहीं हैं। वास्तव में, वे ताज़गी देने वाला आश्वासन देते हैं

जिस पर न्यायाधीश निकट और सावधानीपूर्वक ध्यान देते हैं

मुकदमेबाजी करने वाली जनता एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को पसंद करेगी न्याय प्रशासनः केवल, कि कुलाधिपति का पैर होना चाहिए

सावधानी से चलें "।

(जोर दिया गया)

14. उपरोक्त में बताए गए सिद्धांत को लागू करना

निर्णय लेने पर, हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष रिकॉर्ड पर साक्ष्य के संदर्भ में स्पष्ट रूप से अनुचित और अन्यायपूर्ण है। हमें जो लगता है वह यह है कि अपीलार्थी/वादी के खिलाफ नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए प्रतिकूल निष्कर्ष निर्विवाद तथ्यों पर आधारित हैं, जैसे कि न तो संपत्ति के वास्तविक मालिकों द्वारा उसके निष्पादन को साबित करने के लिए जांचे गए वाद समझौतों के प्रमाणक और लेखक थे और न ही कोई स्पष्टीकरण या औचित्य था।

इस तरह की विफलता के लिए आगामी। मुकदमा समझौते अपंजीकृत हैं। प्रतिवादियों ने इस तरह के किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रतिवादियों का सामना करने और किसी भी हस्तलेखन विशेषज्ञ की जांच करके बोझ उठाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। द.

जिन सदस्यों के पक्ष में 30 जून, 1977 के प्रारंभिक कथित समझौते को निष्पादित किया गया था, उन्होंने अपीलार्थी/वादी के पक्ष में अपना अधिकार छोड़ दिया है। संपत्ति के सह-मालिक (5 वें प्रतिवादी) को न तो 16 अक्टूबर, 1981 के वाद समझौते में पक्षकार के रूप में शामिल किया गया था और न ही इस तरह के

समझौते के निष्पादन के लिए उनका अधिकार था। अन्य दो खरीदार, जिनके साथ मुकदमा समझौता था निष्पादित किया गया, उनकी भी जांच नहीं की गई। निष्पादन के समय बकाया राशि के भुगतान के संबंध में कोई सबूत सामने नहीं आया था

सूट के मालिकों के साथ किए गए सूट समझौते या अन्यथा संपत्ति। अपीलार्थी/वादी ने यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज़ दाखिल नहीं किया कि लक्ष्मी श्रीनिवास सहकारी निर्माण समिति v.

एल. आर. एस. द्वारा पुव्वाडा रामा (डी)। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

वाद समझौतों या उसके लिए किसी भी संदर्भ पर प्रतिवादी संख्या 5 की, बहुत कम कि वह प्रतिवादी संख्या के साथ शामिल होने के लिए सहमत हुई। 1-4 सूट संपत्ति की बिक्री के लिए। मुक़दमा समझौतों को अकेले पहले प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किया जाता है। और सभी सह-मालिकों द्वारा नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निचली अदालत ने प्रतिवादी नंबर 1 की याचिका को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह अस्वस्थ दिमाग का था। लेकिन उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक साक्ष्य के विश्लेषण पर उस संबंध में साक्ष्य को पर्याप्त स्वीकार किया है।

15. विचारण न्यायालय ने वाद समझौतों के निष्पादन के संबंध में सामग्री मुद्दे के संदर्भ में अभिलेख पर साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण किया है और अपीलार्थी/वादी के खिलाफ जवाब दिया है, जैसा कि उसके निर्णय के पैराग्राफ 27 से 29 से देखा जा सकता है जो इस प्रकार हैः

" 27) Ex.A.1 प्रतिवादी 1 से 4 के निष्पादन को साबित करने के लिए और इसके

वादियों ने इसके प्रमाणकों और लेखक की जांच नहीं की। इसके प्रमाणकों की जांच न करने के लिए वादी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वादी ने इसके लेखक की जांच नहीं की क्योंकि वह नहीं रहे और उनके बेटे पी. डब्ल्यू. 2 ने आकर उसे अपदस्थ कर दिया और अपने पिता के लेखन की भी पहचान की। लेखक के लेखन और हस्ताक्षर की पहचान करने के अलावा, डी. डब्ल्यू. 2 का साक्ष्य इसके निष्पादन और प्रतिवादी 1 से 4 के हस्ताक्षर को साबित करने में सहायक नहीं है।

Ex.A.1 पर। इस प्रकार पी. डब्ल्यू. 2 का साक्ष्य बहुत मददगार नहीं है

मुकदमा भूमि की बिक्री और Ex.Al के निष्पादन को साबित करें उत्तरदाता 1 से 4। प्रतिवादी 2,3 और 4, जिन्होंने क्रमशः डी. डब्ल्यू. 2, डी. डब्ल्यू. 3 और डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में जाँच की, ने Ex.A.1 पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

और पी. डब्ल्यू. 1 के पक्ष में इसका उनका निष्पादन भी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहला प्रतिवादी इस आधार पर गवाह बॉक्स में नहीं आया कि [2018] 7 एस. सी. आर.

वह पागल या पागल हो गया। यह वादी का मामला है कि प्रतिवादी 1 से 4 ने शिकायत अनुसूची भूमि को उसे बेच दिया और उससे बिक्री विचार का एक हिस्सा प्राप्त करने के पक्ष में एक्स. ए. 1 को निष्पादित किया। ऐसी परिस्थितियों में पहले प्रतिवादी की गैर-जांच Ex.A.1 को साबित करने में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं देती है, क्योंकि अन्य प्रतिवादियों यानी प्रतिवादी 2 से 4 ने उनके हस्ताक्षर या Ex.A.1 का सामना करने के लिए जांच की और प्रतिवादी 1 के साथ इसे निष्पादित किया। इसी तरह पहले प्रतिवादी की गैर-परीक्षा, नहीं करती है

जाँच किए बिना स्वचालित रूप से Ex.A.1 के निष्पादन को साबित करें

प्रमाणकर्ता और उस पर लेखक। पी. डब्ल्यू. 1 अन्य के साक्ष्य से पता चलता है कि वह प्रमाणक था और वे प्रतिवादी के पुरुष नहीं हैं जो उन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वादी ने अन्य 2 खरीदारों में से किसी की भी जांच नहीं की, जब हमने Ex.A.1 के निष्पादन को साबित करने के लिए Ex.A.1 खरीदा और प्राप्त किया और प्रतिवादी 1 और 4 के हस्ताक्षर सूट अनुसूची भूमि को बेचने और उनसे Rs.45,000/- प्राप्त करने के लिए सहमत हुए। इस प्रकार पी. डब्ल्यू. 1 की बिक्री गवाही, की जांच किए बिना

सत्यापित करता है, और उसके सह-खरीदार मुकदमा अनुसूची भूमि की बिक्री और प्रतिवादी 1 से 4 द्वारा 30.7.1977 पर P. W. 1 के खिलाफ Ex.A.1 के निष्पादन को साबित करने में बिल्कुल भी सहायक नहीं हैं। इस प्रकार वादी प्रतिवादी 1 से 4 द्वारा Ex.A.1 के तहत शिकायत अनुसूची भूमि की बिक्री के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा।

गुडिवाडा दुर्गा राव और एम. सत्यनारायण Ex.A.2 में प्रमाणक हैं। उन्हें नहीं पता कि दुर्गा राव कहाँ रहते हैं, लेकिन वे ताडेपल्ली की ओर से विजयवाड़ा आते थे। सत्यनारायण गवर्नरपाटा, विजयवाड़ा में अट्टा रामय्या स्ट्रीट के निवासी हैं। वे स्वयं दोनों प्रमाणकों को नवयुग होटल ले गए। उन्होंने खुद Ex.A2 टाइप किया था लेकिन उन्हें याद नहीं है कि यह टाइप करने के लिए किसने दिया था। Ex.A.2 टाइप करने से पहले कोई मोटा मसौदा तैयार नहीं किया गया था।

एल. आर. एस. द्वारा एस. एच. एम. आई. श्रीनिवास सहयोगात्मक निर्माण समाज युवदा राम (डी)। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य के अलावा, Ex.A.2 को साबित करने के लिए सत्यापनकर्ताओं का कोई अन्य प्रमाण नहीं है। सत्यापनकर्ताओं की जांच न करने के लिए वादी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसके अलावा प्रमाणक उसके आदमी हैं और उसने उन्हें प्राप्त किया और Ex.A.2 पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए। Ex.A.2, dt.16.10 के निष्पादन की तारीख तक। 1981 , सूट में O.S.No.99/81 पहले से ही प्रतिवादी 2 से 4 के खिलाफ प्रतिवादी 6 द्वारा दायर किया गया था। प्रतिवादियों 1 से 4 ने Ex.A.2 पर अपने हस्ताक्षर और वादी समाज के खिलाफ इसके निष्पादन पर भी विवाद किया। वादी सोसायटी ने सोसाइटी के नाम पर बाद का समझौता Ex.A.2 प्राप्त करने के लिए Ex.A.1 के तहत 8 अन्य खरीदारों का कोई त्याग विलेख प्राप्त नहीं किया। इसी तरह समाज के खिलाफ बाद के समझौते Ex.A.2 को देखते हुए इसे रद्द करने के बारे में विक्रेताओं या विक्रेताओं में से किसी के भी Ex.A.1 पर कोई समर्थन नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और बिना किसी

सत्यापितकर्ताओं से साक्ष्य, पीडब्लू. 1 की एकमात्र गवाही प्रतिवादी 1 से 4 द्वारा Ex.A.2 के निष्पादन को साबित करने में बिल्कुल भी सहायक नहीं है।

16.10.1981 विजयवाड़ा में नवयुग होटल में। वादी ने मामले को फिर से खोलने और उसे खंडन का नेतृत्व करने की अनुमति देने के लिए एक याचिका दायर की

सबूत लेकिन प्रतिवादी ने उसे प्रमाणकों की जांच करने की अनुमति नहीं दी, यह भी एक संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। मान लीजिए कि वहाँ

खंडन का नेतृत्व करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कोई ज्ञापन नहीं था। इस गवाह की जाँच के दौरान सत्यापनकर्ताओं की जाँच किए बिना, जब मामला तर्क के लिए आ रहा है, प्रतिवादी के साक्ष्य को बंद करने के बाद, वादी अपने गवाहों या सत्यापनकर्ताओं की जाँच करने के लिए मामले को फिर से खोलने के लिए याचिका दायर करना प्रतिवादी को दोष देने के लिए बिल्कुल भी उचित आधार नहीं है। जैसे कि Ex.A.1 और Ex.A.2 के सत्यापनकर्ताओं की जांच न करना दोष नहीं है

प्रतिवादी क्योंकि समय पर उनकी जाँच करना वादी का कर्तव्य है। जब यह मामला होता है तो वादी पर यह बोझ होता है कि वह सत्यापनकर्ताओं और इसके लेखक की जांच किए बिना Ex.A.1 और Ex.A.2 के निष्पादन को साबित करे और प्रतिवादियों पर आरोप लगाए कि उन्होंने मामले को फिर से खोलकर बाद के चरण में उनकी जांच करने की अनुमति नहीं दी, दस्तावेज़ को साबित करने में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं है। इस प्रकार वादी प्रतिवादी 1 से 4 द्वारा Ex.A.W के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा

पूर्व समझौते Ex.A.1 के संदर्भ में वादी समाज के प्रतिवादी 1 से 4 के खिलाफ Ex.A.2 का निष्पादन।

29) यह वादी का मामला है कि प्रतिवादी 5 बेचने के लिए सहमत हो गया

प्रतिवादी 1 से 4 के साथ संपत्ति। यद्यपि प्रतिवादी 5

बिक्री समझौते के निष्पादन में शामिल नहीं हुई जो वह बेचने के लिए सहमत हुई थी

और बिक्री विलेख के निष्पादन में शामिल होने के लिए भी सहमत हुए। पी. डब्ल्यू. 1 बिक्री हटा दी गई

कि Ex.A.1 से 10 या 15 दिन पहले, उसने विक्रेताओं के साथ मोल-भाव किया

और लेन-देन का निपटारा किया। लेकिन वादी ने कोई दलील नहीं दी

यह साबित करने के लिए सबूत कि प्रतिवादी 5 बेचने के लिए सहमत हुआ और सहमत भी हुआ

बिक्री विलेख के निष्पादन में शामिल होने के लिए और कोई भी गवाह नहीं है

यह साबित करने के लिए जांच की गई कि कोई सौदा और समझौता हुआ था

लेन-देन और Ex.A.1 से पहले उनके बीच समझ भी। इसके अलावा Ex.A.1 और Ex.A.2 में इस प्रभाव का कोई पाठ नहीं है कि

प्रतिवादी 1 से 4 के साथ प्रतिवादी 5 के प्रभाव के लिए कि प्रतिवादी

1 प्रतिवादी 5 के साथ 4 ने विनियमन को निष्पादित करने के लिए सहमति व्यक्त की। बिक्री

संपत्ति बेचने के लिए सहमत हो गई और वह बिक्री करने के लिए सहमत नहीं हुई वादी की शिकायत का विलेख। 4 साल से अधिक का अंतराल है।

Ex.A.1 और Ex.A.2 के बीच। न केवल Ex.A.1 बल्कि Ex.A.2 भी

प्रतिवादी 5 के हस्ताक्षर और संदर्भ नहीं है कि वह

मुक़दमा अनुसूची की बिक्री के लिए प्रतिवादी 1 से 4 के साथ शामिल होने के लिए सहमत हुए

संपत्ति। वादी यह भी समझाने में विफल रहा कि उन्होंने क्या नहीं किया

Ex.A.1 का समझौता। यदि प्रतिवादी 5 जागरूक है और वादी प्रतिवादी को कोई सहमति या कम से कम सूचना प्राप्त की 5, वे

Ex.A.2 पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर प्राप्त किए होंगे-जो

Ex.A.1 के 4 साल से अधिक समय के बाद अस्तित्व में आया। ऐसे में समझौते Ex.A.1 की परिस्थितियाँ। और Ex.A.2 बांधता नहीं है

प्रतिवादी 5 पर क्योंकि वह न तो पक्षकार है और न ही वह उसकी सहमति से थी

और इच्छुक, इस तरह की बिक्री लेनदेन हुआ।

(जोर दिया गया)

16. निचली अदालत के उस फैसले की उच्च न्यायालय ने सराहना की।

विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिया गया दृष्टिकोण निश्चित रूप से एक संभावित दृष्टिकोण है और कल्पना से दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष हो सकता है।v अपीलार्थी के खिलाफ सामग्री मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कहा जाए

अभिलेख पर साक्ष्य के संदर्भ में विश्वसनीय और अन्यायपूर्ण।

लक्ष्मी श्रीनिवास सहकारी निर्माण समाज v. एल. आर. एस. द्वारा पुव्वाडा रामा (डी)। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

दिनांक 16 अक्टूबर, 1981 को अपीलार्थी/वादी के पक्ष में, वाद संपत्ति को प्रत्यर्थी संख्या 6 (मूल प्रतिवादी संख्या 6) के पक्ष में 22 नवंबर, 1979 के समझौते के संदर्भ में हस्तांतरित किया जाना था। पक्षकारों के बीच उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, वाद संपत्ति के मालिकों द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 (प्रतिवादी संख्या 6) के पक्ष में वाद संपत्ति के संबंध में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था। पंजीकृत बिक्री विलेख के परिणामस्वरूप, मूल प्रतिवादी संख्या 6 के उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि मुकदमे के मालिक और कब्जे में होने का दावा करते हैं। संपत्ति।

18. जहां तक कब्जे के तथ्य का संबंध है, निचली अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता इसे साबित करने और मुद्दे का जवाब देने में विफल रहा

सं. 5, इसने निम्नलिखित रूप में अवलोकन कियाः

" 33. मुद्दा संख्या 5: यह वादी का मामला है कि प्रतिवादी 1 से 4 ने खरीदारों के पक्ष में Ex.A.1 तिथि 30.06.1977 के तहत बिक्री की तारीख को वादी अनुसूची संपत्ति का कब्जा सौंप दिया और बाद में उन्होंने इसे वादी सोसायटी को एक्स. ए. के निष्पादन की तारीख को सौंप दिया है। 2 दिनांकित

16.10.1981 और तब से वे वाद अनुसूची संपत्ति के कब्जे और आनंद में रहे हैं। प्रतिवादियों ने [2018] 7 एस. सी. आर. को अस्वीकार कर दिया।

वादी को अधिकार की सुपुर्दगी और मुकदमा दायर करने की तारीख को नाम पर उनका जारी रहना। पी. डब्ल्यू. 1 ने पदच्युत किया कि ग्राम पंचायत ने लेआउट को मंजूरी दी जो Ex.A.7 है। भूखंडों के लिए सर्वेक्षण पत्थरों को चित्रित किया गया और लेआउट के अनुसार सड़कों के लिए पाइपों की भी व्यवस्था की गई और सड़कों का निर्माण किया गया। पी. डब्ल्यू. 1 ने इस बात से इनकार किया कि छठे प्रतिवादी ने ओ. एस. No.99/81 में Ex.A.1 के तहत मुकदमा अनुसूची संपत्ति पर कब्जा कर लिया था और वह उसी के कब्जे में था। पी. डब्ल्यू. 1 ने अपदस्थ किया कि वाद भूमि एक कृषि भूमि है और उन्होंने शहरी अधिकतम सीमा प्राधिकरण अधिकारी में उपलब्ध लेखा संख्या 2 की प्रति देखी थी जिसमें अन्य प्रतिवादियों के नाम का उल्लेख वाद भूमि के अधिभोगियों के रूप में किया गया था। गाँव के कर्णम ने उन्हें सूचित किया कि सूट अनुसूची संपत्ति में है

अकेले पहले प्रतिवादी का नाम। पी. डब्ल्यू. 1 ने स्वीकार किया कि उन्होंने 30.6.1977 से 16.10.1981 तक के सूट के लिए कोई भुगतान नहीं किया। इसके बाद उन्होंने भुगतान किया, लेकिन तब तक दूसरा मुकदमा ओ. एस. No.99/81 भी दायर कर दिया गया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि जब तक वह अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उनके पास या मुकदमे की भूमि नहीं है और वह केवल निषेधाज्ञा आदेशों के अनुसरण में मुकदमे की भूमि के कब्जे में आए हैं। अभियुक्तों ने मुकदमा दायर करने से पहले ही, जवाब सूचना के माध्यम से उन्होंने वादी के पक्ष में बिक्री लेनदेन और कब्जे की डिलीवरी से भी इनकार कर दिया है। वादी ने कोई याचिका दायर नहीं की

दस्तावेज़ अर्थात राजस्व अभिलेख या सीस्ट रसीदें यह दिखाने के लिए कि उसने कोई कर का भुगतान किया था और यह कहने के लिए कि वह एक्स. ए. की तारीख से ही वादी अनुसूची की संपत्ति के कब्जे में था। 1 अर्थात् 30.6.1977 से लेकर उन्होंने वर्ष 1982 में यह मुकदमा दायर किया। यह वादी का मामला है कि उसने 8 अन्य लोगों के साथ एक्स. ए. के तहत संपत्ति खरीदी। 1 और बाद में उन सभी ने वादी की एक सोसायटी का गठन किया और Ex.A.2 के तहत Ex.A.2 दिनांक 16.10.1981 के तहत प्रतिवादियों से एक और बाद का समझौता प्राप्त किया। लेकिन वादी ने यह साबित करने के लिए अपने किसी भी सह-खरीदार से पूछताछ नहीं की

प्रतिवादियों द्वारा उन्हें वाद अनुसूची संपत्ति का कब्जा दिया जाना। पीडब्लू. 1 की बिक्री गवाही के अलावा, यह कहने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है कि प्रतिवादियों ने एक्स. ए. के तहत 30.6.1977 पर उन्हें कब्जा सौंप दिया। 1 . यदि 30.6.1977 पर कब्जे की ऐसी कोई डिलीवरी हुई थी और उन्होंने ऐसा जारी रखा है

लक्ष्मी श्रीनिवास सहकारी निर्माण समिति v तक वाद अनुसूची संपत्ति पर कब्जा और आनंद।

एल. आर. एस. द्वारा पुव्वाडा रामा (डी)। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

वर्ष 1982 में मुकदमा दायर करने की तारीख में उन्होंने कम से कम राजस्व अधिकारियों को भुगतान किया होगा और रसीदें प्राप्त की होंगी और पीडब्लू. 1 के अन्य सह-खरीदार से भी पूछताछ की होगी। ऐसे किसी भी साक्ष्य के अभाव में, वादी का संस्करण कि

प्रतिवादियों 1 से 4 ने शिकायत अनुसूची पर कब्जा कर लिया

उसे और उसके अन्य 8 खरीदारों को 30.6.1977 पर संपत्ति और बाद में उन्होंने इसे Ex.A.2 के तहत 16.10.1981 पर वादी सोसायटी को सौंप दिया और यह भी कहना कि वे कब्जे में बने हुए हैं और शिकायत अनुसूची संपत्ति का आनंद लेना बिल्कुल भी उत्तरदायी संस्करण नहीं है। Ex.A.7 के तहत ग्राम पंचायत से लेआउट अनुमति प्राप्त करना और रिट याचिका भी दायर करना और उसके द्वारा शिकायत अनुसूची भूमि के अधिग्रहण पर सवाल उठाने वाली कार्यवाही। <आई. डी. 1 से ए. 21 के तहत वादी यह कहने में बिल्कुल भी सहायक नहीं है कि वादी का अभियोग अनुसूची भूमि पर कब्जा और आनंद। इसी तरह D.Ws.1 से 7 तक का साक्ष्य भी यह कहने में सहायक नहीं है कि वादी का वादी अनुसूची संपत्ति पर कब्जा और आनंद और उसके द्वारा कब्जे का वितरण भी।

Ex.A.1 के तहत 30.6.1977 पर प्रतिवादी 1 से 4। इसलिए यह मुद्दा है

वादी के खिलाफ निर्णय लिया। "

19. विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिए गए दृष्टिकोण की उच्च न्यायालय ने सराहना की और उसके द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। हम इससे भटकने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

उक्त निष्कर्ष क्योंकि यह अभिलेख पर साक्ष्य के संदर्भ में स्पष्ट रूप से अनुचित या अन्यायपूर्ण नहीं है।

20. उपरोक्त पर विचार करते हुए, हमें दोनों न्यायालयों द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि दोनों न्यायालयों द्वारा दायर वाद

अपीलार्थी/वादी लागत सहित बर्खास्त किए जाने के योग्य हैं। दलीलों के दौरान, हमारे समक्ष अपीलार्थी की ओर से यह ईमानदारी से आग्रह किया गया था कि यदि न्यायालय विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए इच्छुक नहीं है

निष्पादन, तब यह न्यायालय प्रत्यर्थियों को मुकदमा समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भुगतान किए गए बकाया धन को वापस करने का निर्देश दे सकता है। आम तौर पर, इस तरह की प्रार्थना पर विचार किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में, इसे स्वीकार करना संभव नहीं हो सकता है, न केवल इसलिए कि याचिका में ऐसी कोई स्पष्ट प्रार्थना नहीं मांगी गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी, लेकिन यह भी कि उस प्रार्थना को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के साथ एक विरोधाभासी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और उच्च न्यायालय और हमारे द्वारा पुष्टि की गई है कि 1250

एक अपीलार्थी/वादी मुकदमे की संपत्ति के मालिकों को बकाया राशि के भुगतान के तथ्य को साबित करने में विफल रहा था। विशेष रूप से, मुकदमे के समझौतों के निष्पादन के तथ्य पर संदेह है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस मामले की तथ्य स्थिति में अपीलार्थी/वादी को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

21. हम तदनुसार दोनों अपीलों को लागत के साथ खारिज करते हैं।

बी.

निधि जैन